राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17
पंचकूला।

अधिसूचना

क्रमांकः–रा0नि0आ0/3ई0–III/2009/4501 दिनांकः 15/7/2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के खण्ड (1) सहपठित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 व धारा 211 की उपधारा (2) तथा धारा 212 और हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों तथा इस नियमित मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा, पंचों/सरपंचों तथा पंचायत समिति के सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने अथवा अन्यथा कारणों से हुई आकस्मिक रिक्तियां जो कि अनुलग्नक "ए" में वर्णित हैं, को उनकी शेष अवधि तक भरने हेतू उप चुनाव करवाने के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित करता हूं :–

समय अनुसूचि

क	नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियम 24 के अन्तर्गत यथा–स्थिति प्रारूप 2 या 3 में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नोटिस प्रकाशित करने की तिथि	दिनांक 27/07/2009
ख	नामांकन करने की अवधि नियम 24 (क)	दिनांक 28/07/2009 से 30/07/2009 तक (प्रातः10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक)
ग	उम्मीदवार द्वारा निर्धारित परिपत्र में रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत) को, यह सूचना देने की तिथि, कि उसकी कोई अयोग्यता तो नहीं है।	31/07/2009 प्रातः 10:00 बजे से पूर्व
घ	नामांकनों की छानबीन करने की तिथि नियम 24 (ख)	31/07/2009 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
ड	उम्मीदवारी वापिस लेने की तिथि नियम 24 (ग)	03/08/2009 सांय 4.00 बजे तक)
च	मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो	09/08/2009 (प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.00 तक)
छ	मतगणना	पंचों व सरपंचों के मतों की मतगणना चुनाव सम्पन्न होने के तुरन्त बाद मतदान केन्द्र पर की जाएगी। पंचायत समिति के लिए मतगणना दिनांक 10/08/2009 समय 8.00 बजे खण्ड मुख्यालय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित/अधिसूचित स्थान पर की जायेगी

2. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24 के उपनियम (क) (ख) (ग) (घ) और (ड०) के अन्तर्गत प्ररूप 2 या 3 मे उपरोक्त कार्यक्रम सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा जैसा कि (i) नामाकंन करने के लिए अन्तिम तिथि, समय तथा स्थान (ii) नामांकनों की छानबीन करने के लिए तिथि, समय तथा स्थान (iii) उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए तिथि व समय (iv) तिथि जिसको तथा समय जिसके दौरान मतदान किया जायेगा और (v) मतगणना के लिए तिथि, समय तथा स्थान, और इसकी सूचना फैक्स द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करेगा।

3. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता हैं कि पंच व सरपंच के लिए नामाकंन पत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा पंचायत समिति के लिए नामाकंन खण्ड कार्यालय पर भरे जायेगें तथा सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत)/ पंचायत समिति या सहायक रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत) /पंचायत समिति द्वारा स्वीकार किए जाएंगे । **राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि नामाकंन पत्रों की छानबीन का कार्य सहायक रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत)/ पंचायत समिति को न सौंपा जाए ।**

4. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि रिटरनिंग अधिकारी चुनाव चिन्ह् वितरित करते समय नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करे जिससे यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह् वितरित करने की सूचना दे दी गई है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत)/ पंचायत समिति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामाकंन पत्र के साथ राजनीतिक अपराधीकरण, सम्पत्ति एंव देनदारी की घोषणा, शैक्षणिक योग्यता हेतू निर्धारित प्ररूप (अनुबन्ध-।।।) देगा । रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत) /पंचायत समिति इस सम्बन्ध में नामाकंन पत्र के साथ प्ररूप की प्रतियां देने की रसीद भी प्राप्त करेगा और उसे नामांकन पत्र के साथ रखेगा।

6. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि यदि इन रिक्तियों के विरूद्ध किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश दिये गए हैं तो उस पद के लिए चुनाव नहीं होगा।

दिनांक पंचकूला
9 जुलाई, 2009

चन्द्र सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त,हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठाकंन कमांक एस0ई0सी0/3ई0-III/4502-46 दिनांकः15/7/2009

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़

2. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ ।

3. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

4. सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) हरियाणा राज्य को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24 के उपनियम (क) (ख) (ग) (घ) और (ड०) के अन्तर्गत यथास्थिति, प्ररूप 2 या 3 में (i) नामाकंन करने के लिए अन्तिम तिथि, समय तथा स्थान (ii) नामांकनों की छानबीन करने के लिए तिथि, समय तथा स्थान (iii) उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए तिथि व समय और (iv) तिथि जिसको तथा समय जिसके दौरान मतदान किया जायेगा (v) मतगणना के लिए तिथि, समय तथा स्थान नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा तथा इसकी सूचना फैक्स द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करेगा।

उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा पंचायत राज (निर्वाचन) नियम के अन्तर्गत रिटरनिंग अधिकारी/सहायक रिटरनिंग अधिकारी नियुक्त करें और मतदान केन्द्रों की सूचि नियमानुसार प्रकाशित करें तथा इसकी सूचना भी आयोग को भेजे ।

5. सभी जिला विकास एंव पचांयत अधिकारी, हरियाणा राज्य।

अधीक्षक (पंचायत)
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त
हरियाणा ।

पृष्ठाकंन क0एस0ई0सी0/एस0ई0–III/2009/4547 दिनांकः 15/7/2009

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है ।

अधीक्षक (पंचायत)
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त
हरियाणा ।

\\ACER\Acer D\nt(f)\PUSHAKAR DUTT\Hindi T.S2..doc